



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220870
CG-DL-E-05082020-220870

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2292]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942

No. 2292]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

का.आ. 2588(अ).—भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का. आ. 2064(अ), दिनांकित 14 अगस्त, 2014, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के तहत जारी, केंद्र सरकार ने राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709 विस्तार को राजस्थान राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे “नियम” के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा राजस्थान राज्य में खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर राजगढ़ – हरियाणा सीमा खंड के लिए डिजाइन चैनेज किमी 5.150 से किमी 36.150 (मौजूदा चैनेज किमी 3.650 से किमी 34.650) और डिजाइन चैनेज किमी 42.850 से किमी 57.425 (मौजूदा चैनेज किमी 43.750 से किमी 58.325) तक खंड के लिए पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन खंड के उपयोग के लिए 45.575 किमी की निवल सड़क लंबाई के लिए आधार दर का 60% पर यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर नीचे सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट

प्रकार के वाहनों पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-I

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
तिरपाली बड़ी गांव के निकट रासा-709 विस्तार के डिजाइन चैनेज, किमी 33.850 (मौजूदा चैनेज किमी 32.350 पर) पर	45.575	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजासे बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2018-19 के लिए 265.00 रु. (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) है और कथित नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्-

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदेय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदेय की तारीख से एक मास

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 163.95 करोड़ रु. है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरजे/डीपीपी/एपी/2017-18/1099/टोल फीस अधिसूचना]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

S. O. 2588(E)---Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 2064 (E) dated 14th August 2014 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the National Highway number 709 Extension in the State of Rajasthan to the Government of Rajasthan ;

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 45.575 km. for use of the two lane with paved shoulders for Rajgarh – Haryana Border section from design chainage from km 5.150 to km 36.150 (Existing chainage from km 3.650 to km 34.650) and from design chainage km 42.850 to km 57.425 (Existing chainage from km 43.750 to km 58.325) of National Highway Number 709E in the State of Rajasthan and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The, fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 33.850, design chainage (at km. 32.350 existing chainage) of NH-709 Extn. near village Thirpali Badi.	45.575	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees two hundred sixty five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the 'excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 163.95 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RJ/DPP/AP/2017-18/1099/Toll Fee Notification]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.